



दिल्ली की मु.मंत्री आतिशी सिंह ने आरोप लगाया, तीन महीने में दूसरी बार बेघर किया केन्द्रीय सरकार ने

भाजपा ने प्रत्युत्तर में कहा, आतिशी को बेघर करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ग्यारह अक्टूबर को “शीश महल” ऑफर हुआ, पर, उन्होंने आज तक उसका कब्जा नहीं लिया है, अतः शीश महल का उनका आवंटन रद्द करना पड़ा था

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जनवरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के दावे, कि केन्द्र सरकार ने उनका घर छीन रिया है और भाजपा के इसके जेरादर खंडन के बाद केन्द्रीय एण्ड अंडियर जनल (सी.ए.जी.) की एक रिपोर्ट आई है जिसमें केजरीवाल के बांले की मरम्मत व सीज-सज्जा पर हुए भारी खर्च का जिक्र है।

ऑफिसर रिपोर्ट जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किया गया था में बताया गया है कि केजरीवाल के बांले 6, प्लैग स्टाफ रोड के लिए पहुंच खरीदे पर 6 लाख रुपए, इन्हिलियन मार्बल की खरीद पर 14 लाख रुपए और मार्बल स्टोन पर 66 लाख रु. खर्च किए। श्रीआत में मरम्मत व सार-सज्जा पर 7.91 करोड़ रु. खर्च होने का अनुमान था पर काम खत्म होते होते यह खर्च बढ़कर 33.66 करोड़ रु. हो गया।

केजरीवाल के शीश महल पर मंगलवार को तब विवाद बढ़ा जब

- इस संबंध में भाजपा ने यह कठाक भी किया कि केजरीवाल ने बहुत तबियत से, अपने मु.मंत्री निवास “शीश महल” को 33.66 करोड़ रुपये खर्च करके ठीक-ठाक कराया। अतः आतिशी केजरीवाल के “शीश महल” में शिफ्ट करके केजरीवाल की नाखुशी नहीं लेना चाहती थीं, इसलिए शीश महल को उन्होंने अपना निवास कभी नहीं बनाया।
- 33.66 करोड़ रुपये “रैनोवेशन” पर खर्च होने की बात सी.ए.जी. ने अपनी रिपोर्ट में भी कही है।
- पर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव से दो महीने पहले ही रिपोर्ट आना इस घटनाक्रम में राजनीतिक पुट होने का सदैह जरूर जगती है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट का केजरीवाल के वफादार वोट बैंक पर कितना असर होगा, यह अभी नहीं आंका जा सकता।

मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने दावा किया गया। असल में वे काशी भी शीश महल के केन्द्र सरकार ने तीन माह में दूसरी बार उन्होंने आवास छीन लिया, उन्हें दिया हुआ आवास रद्द करके। इस पर भाजपा के अभियान सभा ने एस पर लिखा कि केन्द्रीय सरकार ने एस पर लिखा वोलने का आरोप लगाया और पलिक कि मुख्यमंत्री को कभी भी निकाला नहीं हो रहा था।

भाजपा नेता ने आतिशी पर खुला बोलने का आरोप लगाया और पलिक कि मुख्यमंत्री को कभी भी निकाला नहीं हो रहा था।

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोंटियन आधिकारी ने रेस्टर्न सिंह भालाकर ने आदेश में कहा कि ऐसे अपराधी से समाज की पैतैतता और बालिकाओं की सुरक्षा का खतरा है। इसलिए अधियुक्त के प्रति नरमी का रख नहीं अनावाया या सकता।

अधियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अधियोजक ललिता संजीव

जिनमें स्पष्ट किया गया था आवंटन वापस लिया गया क्योंकि आतिशी कभी इसमें गई ही नहीं। इसकी बावजूद उन्हें दो बड़े बंगले को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अधियुक

